



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246699
CG-DL-E-20062023-246699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]
No. 362]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2023

सा.का.नि. 451(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आशुलिपिक पद भर्ती नियम 2019 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आशुलिपिक पद (संशोधन) भर्ती नियम 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आशुलिपिक पद भर्ती नियम 2019, की अनुसूची में, प्रधान निजी सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ (11) में, "वेतन मेट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु) में ऐसे निजी सचिव या रिपोर्टर जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो"

शब्दों के स्थान पर "वेतन मेट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु) में ऐसे निजी सचिव या रिपोर्टर जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो" शब्द रखे जायेंगे।

[फा. सं. ए-12018/7/2018-बी.ए.पी]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 897(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2023

G.S. R. 451(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 read with sub-sections (1) and (2) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Stenographer Posts Recruitment Rules, 2019, namely:-

- (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Stenographer Posts (Amendment) Recruitment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Stenographer Posts Recruitment Rules, 2019, in the Schedule, against serial number 1, relating to the post of Principal Private Secretary, in Column (11), for the words, "Private Secretary or Reporter in level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with seven years regular service in the grade", the words "Private Secretary or Reporter in level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with nine years regular service in the grade" shall be substituted.

[F. No. A-12018/7/2018-BAP]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 897(E), dated the 6th December, 2019.